भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 418
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत दिव्यांगजन

418. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पंजीकृत दिव्यांगजनों का राज्य-वार ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ख) कुल कितने दिव्यांग आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें कितने दिनों तक रोजगार दिया गया तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिव्यांग लोगों को दिए जाने वाले काम में छूट देने के संबंध में मनरेगा के कोई दिशा-निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 तक) के दौरान पंजीकृत दिव्यांगजनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध–I** में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 तक) के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों तथा सृजित श्रमदिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध–II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची –I के पैरा 9 के अनुसार, "प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की अपेक्षित मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त कार्यों की संख्या आरक्षित रखी जाएगी , ताकि कम से कम एक श्रम-प्रधान सार्वजनिक कार्य तथा कम

से कम एक ऐसा कार्य जो विशेष रूप से कमजोर समूहों विशेषकर वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त हो , हर समय उपलब्ध रखा जाए , ताकि मांग के अनुसार कार्य प्रदान किया जा सके।"

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के संचालन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं:-

पैरा 9.3.1: विकलांग या दिव्यांगजन, जिन्हें निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम , 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है , उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के उद्देश्य से कमजोर व्यक्तियों की विशेष श्रेणी माना जाएगा। इसी प्रकार , ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी , मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम , 1999 (1999 का 44) में परिभाषित विकलांग व्यक्तियों को भी महात्मा गांधी मनरेगा में शामिल किए जाने हेतु विकलांग व्यक्ति माना जाएगा।

पैरा 9.3.2: चूंकि इस श्रेणी के लोग दिव्यांग हैं, इसलिए महात्मा गांधी नरेगा में उनके समावेशन को सुगम बनाने के लिए विशेष परिस्थितियां बनानी होती है।

पैरा 9.3.3: प्रत्येक राज्य सरकार उन विशिष्ट कार्यों की पहचान करेगी जिन्हें दिव्यांग और कमज़ोर व्यक्ति कर सकते हैं। एक गाँव में , दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों को एक निश्चित समूह के रूप में एक साथ संगठित किया जाएगा , ताकि वे इस योजना के तहत अपने लिए प्रस्तावित कार्यों को पूरा कर सकें और कार्य प्राप्त करने के अपने विकल्प का उपयोग करना उनके लिए संभव हो सके। किसी भी आधार पर , दिव्यांग और कमज़ोर व्यक्तियों को महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम मज़दूरी नहीं दी जानी चाहिए।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध-I**

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पंजीकृत दिव्यांगजनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत दिव्यांगजनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	104264
2	अरुणाचल प्रदेश	1332
3	असम	20644
4	बिहार	55822
5	छत्तीसगढ़	45199
6	गोवा	18
7	गुजरात	79331
8	हरियाणा	2657
9	हिमाचल प्रदेश	5402
10	जम्मू और कश्मीर	8653
11	झारखंड	34367
12	कर्नाटक	114258
13	केरल	4176
14	लद्दाख	51
15	मध्य प्रदेश	127510
16	महाराष्ट्र	146320
17	मणिपुर	3342
18	मेघालय	4914

19	मिजोरम	302
20	नागालैंड	1975
21	ओडिशा	33487
22	पंजाब	9368
23	राजस्थान	71513
24	सिक्किम	308
25	तमिलनाडु	148749
26	तेलंगाना	114135
27	त्रिपुरा	12505
28	उत्तर प्रदेश	48631
29	उत्तराखंड	3161
30	पश्चिम बंगाल	196769
31	अंडमान और निकोबार	90
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	128
33	लक्षद्वीप	44
34	पुदुचेरी	1450
	कुल	14,00,875

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध-II**

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान रोज़गार प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों और सृजित श्रमदिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।			
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोज़गार प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन	सृजित श्रमदिवस
1	आंध्र प्रदेश	62545	1823134
2	अरुणाचल प्रदेश	834	27822
3	असम	2728	60201
4	बिहार	7814	246656
5	छत्तीसगढ़	14788	311962
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	5064	141320
8	हरियाणा	378	6268
9	हिमाचल प्रदेश	1033	25117
10	जम्मू और कश्मीर	1543	43022
11	झारखंड	6520	238938
12	कर्नाटक	21982	401853
13	केरल	1961	83143
14	लद्दाख	30	1302
15	मध्य प्रदेश	40000	950429
16	महाराष्ट्र	23842	511508
17	मणिपुर	1778	41479

18	मेघालय	2436	82942
19	मिजोरम	252	13880
20	नागालैंड	819	20646
21	ओडिशा	10430	312702
22	पंजाब	2511	58820
23	राजस्थान	18593	522322
24	सिक्किम	121	4383
25	तमिलनाडु	93824	3004385
26	तेलंगाना	32524	658427
27	त्रिपुरा	7049	203118
28	उत्तर प्रदेश	17044	573928
29	उत्तराखंड	595	12897
30	पश्चिम बंगाल	0	0
31	अंडमान और निकोबार	3	26
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	6	18
33	लक्षद्वीप	0	0
34	पुदुचेरी	745	16711
	कुल	3,79,792	103,99,359

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)